न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०- १, झाँसी।

उपस्थित - जयतेन्द्र कुमार (उच्चतर न्यायिक सेवा)

JO Code- 05983

(CNR NO- UPJS01- 004272- 2023)

सत्र वाद संख्या- ८५२/ २०२३

सरकार **बनाम** **सोनू उर्फ मानवेन्द्र खरे**

धारा- ४/ २५ आयुध अधिनियम
मु०अ०सं०- २९१/ २०२२
थाना- बडागांव , जिला झाँसी।

आदेश

दिनांकः२७- ०९- २०२३

१- पत्रावली पेश हुयी। अभियुक्त **सोनू उर्फ मानवेन्द्र खरे** जेरे जमानत मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

२- अभियुक्त को अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदान की जा चुकी है। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपो का वर्णन करते हुए यह कथन किया है कि वह उपरोक्त अभियुक्त के दोष को किस - किस साक्ष्य से प्रमाणित करने की प्रतिस्थापना करते है।

३. मैंने इस मामले के अभिलेखों और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार किया तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

४. उपर्युक्त विचार तथा सुनवाई के उपरान्त मैं इस मत पर हूं कि ऐसी उपधारणा करने का प्रथम दृष्टया आधार मौजूद है कि अभियुक्त सोनू उर्फ मानवेन्द्र खरे ने धारा- ४/ २५ आुयध अधिनियम का अपराध कारित किया है और उपरोक्त धारा के अन्तर्गत उसका परीक्षण करने का पर्याप्त आधार है।

५. अतएव एतदद्वारा मै यह निर्देश देता हूं कि अभियुक्त **सोनू उर्फ मानवेन्द्र खरे के विरूद्ध** धारा- ४/ २५ आुयध अधिनियम के आरोप विरचित किया जाये। अभियुक्त को आरोप पढकर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने लगाये गये आरोप को अस्वीकार किया तथा विचारण की मांग की। फलस्वरूप अभियोजन साक्ष्य की कार्यवाही अग्रसारित की गयी। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक **- १०. १०. २०२३** को पेश हो। अभियोजन साक्षी नियमानुसार तलब हो।

(जयतेन्द्र कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०- १
झाँसी।

दिनांकः२७- ०९- २०२३

Digitally signed by JAITENDRA KUMAR
Date: 2023.09.27 17:10:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०- १, झाँसी।

उपस्थित - जयतेन्द्र कुमार (उच्चतर न्यायिक सेवा)

JO Code- 05983

(CNR NO- UPJS01- 004272- 2023)

सत्र वाद संख्या- ८५२/ २०२३

सरकार **बनाम** **सोनू उर्फ मानवेन्द्र खरे**

धारा- ४/ २५ आयुध अधिनियम

मु०अ०सं०- २९१/ २०२२

थाना- बडागांव , जिला झाँसी।

आरोप

मैं जयतेन्द्र कुमार, अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०- १, झाँसी आप अभियुक्त **सोनू उर्फ मानवेन्द्र खरे** के विरूद्ध निम्नलिखित आरोप लगाता हूं-

१- यह कि दिनांक- २२. २०. २०२२ को समय २३. २० बजे हेड क्वाटर होटल से पहले सड़क किनारे स्थित निर्माणाधीन कमरे के पास , बहद ग्राम शंकरगढ, थाना- बडागांव जिला- झाँसी के क्षेत्राधिकार में पुलिस द्वारा आपको गिरफ्तार किये जाने पर आपकी जामा तलाशी में आपके पैण्ट के दाहिने फैंट से एक अदद चाकू लोहे का बरामद हुआ, जिसे रखने का आपके पास कोई लाईसेंस नहीं था। इस प्रकार आपका यह कृत्य आयुध अधिनियम की धारा- ४/ २५ के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

अतएव मैं एतदद्वारा आपको यह निर्देश देता हूं कि उक्त आरोप के लिए आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

(जयतेन्द्र कुमार)

दिनांकः२७- ०९- २०२३ **अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०- १**

झाँसी।

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे उसने इंकार किया तथा परीक्षण की मांग की।

(जयतेन्द्र कुमार)

दिनांकः२७- ०९- २०२३ **अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०- १**

झाँसी।